उत्तर प्रदेश सरकार

कर एवं निबन्धन अनुभाग–5

संख्याः क0नि0–5–2758/11–2008–500(159)–2006

लखनऊ, दिनांक 10 जुलाई, 2008

अधिसूचना

आदेश

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय–समय पर यथासंशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 02 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और इस निमित्त जारी की गयी सरकारी अधिसूचनाओं का आशिंक उपान्तर करके राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशन के दिनॉक से भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 02 सन् 1899) की अनुसूची 1–ख के अधीन निम्नलिखित वर्ग की लिखतों पर प्रभार्य शुल्क में छूट प्रदान करते हैंः–

(1)– अनुच्छेद 5–करार या करार का ज्ञापन–

(ख–1) यदि वह किसी स्थावर सम्पत्ति के विक्रय से सम्बन्धित है, जहॉ कब्जा का दिया जाना स्वीकार न किया गया हो और न ही हस्तान्तरण–पत्र का निष्पादन किये बिना दे दिये जाने का करार किया गया हो धनराशि की उस सीमा तक जो इस करार में दी गयी प्रतिफल की धनराशि के आधे भाग की रकम पर प्रत्येक एक हजार रूपये अथवा उसके भाग पर चालीस रूपये की दर से आगणित शुल्क की धनराशि से अधिक हो,

(2)– अनुच्छेद 35–पट्टा, जिसके अन्तर्गत अवर–पट्टा या उप–पट्टा तथा पट्टे पर देने के लिए कोई करार है–

(क) (i), (ii), (iii), (iv), (v), (ख) (i), और (ग) (i) धनराशि की उस सीमा तक जो भाटक, जुर्माना या प्रीमियम या अग्रिम धन की रकम या मूल्य, जैसी स्थिति हो, पर प्रत्येक एक हजार या उसके भाग पर बीस रूपये की दर से अगणित शुल्क की धनराशि से अधिक हो।

(3)–अनुच्छेद 40–जो {हक विलेखो के निक्षेप, पणयम् या गिरवी (संख्या 6)} पोत बन्ध–पत्र (सं0 16), फसल का बन्धक (संख्या 41) जहाजी माल बन्धपत्र (संख्या 56), या प्रतिभूति बंधपत्र (संख्या 57) से सम्बन्धित करार नहीं है–

(एक) खण्ड (ख) में धनराशि की उस सीमा तक जो ऐसे विलेख द्वारा प्रतिभूत रकम पर प्रत्येक एक हजार रूपया या उसके भाग पर पॉच रूपये की दर से आगणित शुल्क की धनराशि से अधिक हो।

आज्ञा से,
ह0अस्पष्ट
गोविन्द नायर,
प्रमुख सचिव।

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Government notification no. Ka. Ni.-5-2758/XI-2008-500-(159)/ 2006, dated July 10, 2008, for general information:

No.Ka. Ni.-5-2758/XI 2008-500-(159)-2006
Lucknow Dated, July 10, 2008
Notification

In exercise of the powers under clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act No. 2 of 1899) as amended from time to time in its application to Uttar Pradesh, read with section 21 o the General Clauses Act, 1897 (Act No. 10 of 1897), & in partial modification of notifications issued in this behalf the Governor is pleased to remit with effect from the date of Publication of this notification in the Gazette, the duty chargeable, on the following class of instruments under schedule I-B of the Indian Stamp Act, 1899 (Act No. 2 of 1899) :-

(1). Article 5. Agreement or memorandum of an agreement –

(b-1) if relating to the sale of an immovable property where possession is not admitted to have been delivered nor is agreed to be delivered without executing the conveyance, to the extent of the amount that exceeds the amount of duty calculated at the rate of Rs. 40 for every one thousand rupees or part thereof, on one half of the amount of consideration as set forth in the agreement.

(2). Article 35. Lease, including an under-lease or sub-lease & any agreement to let or sublet –

(a) (i), (ii), (iii), (iv), (v), (b) (i) & (c) (i) to the extent of the amount that exceeds the amount of duly calculated at the rate of Rs. 20 for every one thousand rupees or part thereof on the amount or the value of the rent, fine or premium or advance, as the case may be, chargeable with duty.

(3). Article 40. Mortgage-deed not being an agreement relating to Deposit of Title-deeds, pawn or pledge (No. 6) Bottomary Bond (No. 16), Mortgage of a crop (No. 41) Respondentia Bond (No. 56) or Security Bond (No. 57) –

(i) in clause (a) to the extent of the amount that exceeds the amount of duty calculated at the rate of Rs. 20 for every one thousand rupees on the amount secured by such deed,

(ii) in clause (b) to the extent of the amount that exceeds the amount of duty calculated at the rate of Rs. 5 for every one thousand rupees or part thereof on the amount secured by such deed.

(iii) In clause (c) to the extent of the amount of duty calculated at the rate of Rs. 5 for every one thousand rupees or part thereof on the amount of consideration equal to the amount secured by such deed.

By order,

Sd/-Illegible
GOVINDAN NAIR,
Pramukh Sachiv.